

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ.4(1) आ.प्र.एवं सहा./पेयजल परिवहन/2014/ 1110-36 जयपुर, दिनांक 13.2.14.

जिला कलेक्टर,
अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बाडमेर, बारां, बीकानेर,
चुरू, डूंगरपुर, जोधपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा,
जैसलमेर, झालावाड, नागौर, पाली एवं बून्दी ।

विषय:- अभाव सम्वत 2070 में अकाल प्रभावित शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में
आपातकालीन पेयजल उपलब्ध कराने बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1 (1) (4) आ.प्र.एवं सहा. / सामान्य / 2013/734-800 दिनांक 28.01.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2013 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के तहत व्यय हेतु जारी मानदण्डों के अनुरूप राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से पेयजल व्यवस्था के लिए आपको अधिकृत किया जाता है। इस हेतु निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए:-

1. जिले में अभाव अवधि की तिथि 28.01.2014 से आपातकालीन पेयजल परिवहन व्यवस्था हेतु जिला कलेक्टर जिले की आवश्यकता अनुसार 30 दिवस तक पेयजल परिवहन व्यवस्था निर्धारित कर सकता है। 30 दिवस की अवधि उपरान्त जिला कलेक्टर आवश्यकता अनुसार अभाव स्थिति की निरन्तरता होने पर इसे अधिकतम 90 दिवस तक राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरान्त बढ़ाया जा सकेगा। अतः 30 दिवस पश्चात आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव राज्य कार्यकारी समिति से अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जावे।
2. जिले के आबादी क्षेत्रों में जहां नजदीक में पेयजल का स्रोत उपलब्ध नहीं है या पेयजल का स्रोत बाढ़/अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपयोगी नहीं रह गया है एवं पेयजल की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, वहां सर्वप्रथम यह प्रयास किये जावें कि ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वयं सेवी संस्था/-दान दाताओं के सहयोग से पेयजल परिवहन व्यवस्था कराई जाकर पेयजल की आपूर्ति की जाए।
3. स्वयं सेवी संस्थाओं/-दान दाताओं के सहयोग सम्भावना यदि कम/नगण्य हो तो निम्नानुसार व्यवस्था की जाये:-
 - 3.1 ऐसे गांव जहां अनावृष्टि के कारण पेयजल स्रोत उपयोगी नहीं रह गये हैं तथा 1.6 कि.मी. की परिधि से कोई भी पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं रह गया है, वहां संकट की अवधि में पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जाए।
 - 3.2 ऐसे गांव, जहां पेयजल योजनाएं विद्यमान हैं, परन्तु प्राकृतिक आपदा के कारण पेयजल के अभाव की स्थिति पैदा हो गई है, वहां भी पेयजल के परिवहन की व्यवस्था अभाव अवधि में की जाए।

12/2/14

4. यदि पेयजल व्यवस्था हेतु टैंकर्स/ट्रेक्टर ट्रौली/ऊंट गाड़ी/बैल गाड़ी आदि किराये पर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इस हेतु निम्न समिति से दरों का निर्धारण आगामी बिन्दुओं में दिये गये प्रावधान अनुसार कराया जाए:-

अ.	जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि जो अति जिला कलेक्टर स्तर से कम न हो	अध्यक्ष
ब.	अधीक्षण अभियन्ता जन.स्वा.अभि.विभाग का प्रतिनिधि जो अधिशाषी अभियन्ता से कम न हो	सदस्य
स.	कोषाधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि अथवा लेखाधिकारी कलेक्टर कार्यालय	सदस्य

5. जिन समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल परिवहन हेतु किराये के टैंकर/बैलगाड़ी की व्यवस्था की जानी है, वहां वह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति एवं साधन यथा सम्भव स्थानीय हों।
6. ऐसे जिले जहां पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा टैंकर्स उपलब्ध कराये हुये हैं जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे टैंकर्स हेतु अधिशेष घोषित वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चालक एवं खलासी के पदों पर लगाया जाकर कार्य सम्पादित करवाया जाए। यदि उक्त श्रेणी के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो भूतपूर्व सर्विसमैन अथवा सेवा निवृत्त वाहन चालक एवं खलासियों को वित्त विभाग/आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के नवीनतम आदेश द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार रख लिये जाए।
7. सभी समस्याग्रस्त गांवों/ढाणियों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सम्भावित समस्याग्रस्त गांवों के लिए पेयजल परिवहन की दरें पूर्व में ही निर्धारित कर ली जावे। दरों का निर्धारण पूर्व वर्षों में निर्धारित दरों, मूल्य वृद्धि, बाजार की प्रचलित दरों एवं न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए कमेटी द्वारा निर्धारित की जावे। दरों का निर्धारण भिन्न भिन्न वाहनों यथा टैंकर की पानी की क्षमता के अनुसार पक्के/कच्चे रास्ते (Route) की अलग अलग की जावे एवं पेयजल स्रोत से वितरण स्थल (Destination) तक का रूट चार्ट सम्बन्धित पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से अनुमोदन कराया जावे, जिसके अनुसार ही भुगतान कराया जावे।
8. जिला कलेक्टर के स्तर पर कमेटी द्वारा दरों के निर्धारण (बिन्दु संख्या 7 के अनुसार) उपरान्त पेयजल परिवहन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दे दी जायेगी। ग्राम पंचायतें इन निर्धारित दरों पर टैंकर किराये पर लेकर पेयजल की आपूर्ति गांव में कर सकती है। पेयजल परिवहन के बिलों का सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर पाक्षिक रूप से करने के उपरान्त तहसील स्तर से इसका भुगतान किया जाए। तहसीलदार द्वारा इन बिलों के प्राप्त होने के पश्चात इनका भुगतान एक सप्ताह के भीतर कराया जावेगा।
9. (i) शहरी एवं नगरपालिका क्षेत्रों में पेयजल परिवहन का कार्य पीएचईडी के माध्यम से कराया जायेगा। इसके लिये जलदाय विभाग, जिला प्रशासन के निर्देशानुसार टैंकर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगा। शहरी क्षेत्र में दरों का निर्धारण बिन्दु संख्या 4 में अंकित समिति द्वारा वित्तीय नियमों के प्रावधानुसार टेण्डर प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

12/2/14

(ii) टैंकरों की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए पूर्व के पांच सालों में कम से कम दर को या जिला प्रशासन उससे कम दरों को आरक्षित कर रजिस्टर्ड ठेकेदारों तथा अपंजिबद्ध ठेकेदार या पार्टियों को सामूहिक रूप से दर दिये जाने का मौका देवें तथा उस दर से कम दर वाले को या उसी दर पर अन्य लोगों का ठेका आवश्यकतानुसार दिया जावे।

10. पेयजल का वितरण सही हो, इसके लिए जहां से पानी रवाना हो, वहां अस्थाई चैक पोस्ट या उस स्रोत से टैंकर मालिक को तीन कूपन जारी किये जाए, जिसमें पानी की मात्रा, टैंकर रवाना होने का समय, दिनांक तथा टैंकर ले जाने का नाम एवं टैंकर नम्बर दर्ज किया जाए, उसकी एक कार्यालय प्रति होगी तथा दो प्रति टैंकर वाले को दी जाए। टैंकर चालक जिस गांव/शहरी क्षेत्र में जाए, उस गांव/शहरी क्षेत्र के दो आदमियों के तथा एक महिला के हस्ताक्षर करावें। इस पैनल के व्यक्तियों के नाम गांवों में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किया जाए। इस रसीद शुदा कूपन को टैंकर मालिक द्वारा टैंकरों के बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए तथा उस कूपन की ऑफिस की प्रति से मिलान कर भुगतान किया जाए। कूपन जिला कलेक्टर द्वारा मुद्रित कराये जाकर सम्बन्धित कार्यकारी ग्राम पंचायत/जलदाय विभाग को उपलब्ध कराये जावेंगे। कूपनों पर क्रमांक (सीरियल नम्बर) मुद्रित कराये जायेंगे। जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये कूपन ही पेयजल परिवहन हेतु मान्य होंगे। मुद्रित एवं वितरित कूपनों का लेखा जिला कार्यालय एवं सम्बन्धित कार्यकारी अधिकरण द्वारा संधारित किया जायेगा।
11. पेयजल विभाग की स्कीमों के टैंकरों का भुगतान भी राहत मद से कलेक्टर द्वारा अनुमत किया जा सकता है। जलदाय विभाग की स्कीम में यदि अचानक पेयजल हेतु टैंकरों की व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो जलदाय विभाग के अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर को सूचित कर तदानुसार ही पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
12. जो गांव जलदाय विभाग से जुड़े हुए नहीं है और गांवों में पानी की समस्या है तो उन गांवों की व्यवस्था भी जिला कलेक्टर द्वारा की जाए।
13. पेयजल स्रोत के रूप में यदि जिला कलेक्टरों को किसी निजी कुए या ट्यूबवैल की आवश्यकता प्रतीत होती है तो किराये का निर्धारण वर्तमान स्थिति के अनुसार आंकलन कर बिन्दु संख्या 4 पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा।
14. निर्धारित दरों पर कोई टेण्डरकर्ता पेयजल परिवहन नहीं करता है तथा जिला कलेक्टर को अचानक आवश्यकता पड़ती है तो बिन्दु संख्या 4 में गठित कमेटी से नई दरें तय करवा ली जाए। ऐसों टेण्डर दाता की जमानत राशि जब्त कर ली जाए एवं उसे हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए।
15. पेयजल उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से जिला कलेक्टर के स्तर पर की जाए। जिसमें पी.एच.ई.डी. विद्युत वितरण निगम., राजस्व विभाग एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समीक्षा बैठक में शामिल किया जाए।
16. जिला कलेक्टर द्वारा पेयजल के अभाव की स्थिति का निरन्तर आंकलन एवं पेयजल व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाकर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रति सप्ताह अवगत कराया जाए।

8
12/2/14

